रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, मार्च 16—मार्च 22, 2014, शनिवार/फाल्गुन 25, 1935—चैत्र 1, 1936

No. 12] NEW DELHI, MARCH 16—MARCH 22, 2014, SATURDAY/PHALGUNA 25, 1935—CHAITRA 1, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2014

सा.का.नि. 61.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय स्टाफ कार चालक भर्ती नियम, 2002 को जहां तक उनका संबध स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय में स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय में स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी) समूह 'ख' भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.- ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनबैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी)	1* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति द्वारा ऐसा स्टाफ कार चालक (श्रेणी 1) जिसने वेतन बैंड-1, 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 रु. में छह वर्ष नियमित सेवा की हो । **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब

(11)	
	कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तत्स्थानी ग्रेड वेतन या विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संचरना	भर्ती करने में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह ''ख'' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन), शहरी विकास मंत्रालय —अध्यक्ष 2. संपदा निदेशक, संपदा निदेशालय —सदस्य 3. उप सचिव (मुद्रण सामग्री और प्रकाशन) शहरी विकास मंत्रालय —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-12018/1/95-प्रशा.-IV]

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 19th March, 2014

G.S.R. 61.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation Staff Car Drivers Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2002, in so far as they relate to the posts of Staff Car Driver (Special Grade), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver (Special Grade) in the Ministry of Urban Development, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Staff Car Driver (Special Grade) Group 'B' Post Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

403

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or cagegory of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-serviceman the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post/ non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Staff Car Driver (Special Grade)	1* (2014) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Non-Ministerial Non-Gazetted, Group 'B'	Pay Band -2, Rs.9300—34800 plus Grade Pay of Rs. 4200	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption , grades from which promotion or absorption/deputation, is to be made
(10)	(11)
By promotion	**Promotion:** Staff Car Driver (Grade-I) in pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 2800 with six years' regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their

	(11)
	senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2**.—For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Joint Secretary (Administration), Ministry of Urban Development —Chairman 2. Director of Estates, Directorate of Estates —Member 3. Deputy Secretary, (Printing Stationery and Publication) Ministry of Urban Development —Member	Consultation with UPSC not necessary.

[F. No. A-12018/1/95-Admn.-IV]

JITENDER KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 27, 2013/फाल्गुन 8, 1934
No. 117] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 27, 2013/PHALGUNA 8, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 129(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय स्टाफ कार ड्राइवर समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2002 को जहां तक उसका संबंध स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I) स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) और स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय में स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, स्टाफ कार ड्राइवर समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति - भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I)	10* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा,समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-I ₹ 5200-20200 + ग्रेड वेतन ₹ 2800	अचयन	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर(श्रेणी-II) जिनकी श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा है जिसके न हो सकने पर ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर(श्रेणी-III) जिनकी स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) और स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) श्रेणियों में तेरह वर्ष की सम्मिलित सेवा है - (क) जो इस प्रयोजन के लिए संचालित व्यवसायिक परीक्षण उतीर्ण है, पाठ्य विवरण निम्नानुसार है:	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. संयुक्त सचिव	लागू नहीं होता।

										(i) जो अंग्रेजी अंकों और आकृतियों को पढने में समर्थ हो; (ii) जो यातायात विनियमों का अच्छा ज्ञान रखता हो; (iii) जो पैट्रोल और डीजल इंजिन की कार्यकरण का अच्छा ज्ञान रखता हो और छोटी त्रुटियों को दूर करने में समर्थ हो; (iv) जो कार्बयूरेटर, प्लग इत्यादि साफ करने में समर्थ हो (ख) उपरोक्त(i) से (iv) पर आधारित प्रायोगिक परीक्षण । टिप्पण-1 जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । टिप्पण:-2 प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के	(प्रशासन), शहरी विकास मंत्रालय- अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास मंत्रालय - सदस्य 3.सम्पदा निदेशक, सम्पदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय - सदस्य	

—										लिएं, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद(उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थान ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।		
2. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II)	8* (2013) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-I, ₹ 5200-20200 + ग्रेड वेतन ₹ 2400	अचयन	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) जिनकी श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा है- (क) जो इस प्रयोजन के लिए संचालित व्यवसायिक परिक्षण उतीर्ण है, पाठ्य विवरण निम्नानुसार है: (i) जो अंग्रेजी अंकों और आकृतियों को पढने में समर्थ हो; (ii) जो यातायात विनियमों का अच्छा ज्ञान रखता हो; (iii) जो पैट्रोल और डीजल इंजिन	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन), शहरी विकास	लागू नहीं होता ।

की कार्यकरण का अच्छा ज्ञान रखता हो और छोटी त्रुटियों को दूर करने में समर्थ हो;	मंत्रालय- अध्यक्ष										
(iv) जो कार्बयूरेटर, प्लग इत्यादि साफ करनेमें समर्थ हो	2. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग -सदस्य										
(ख) उपरोक्त(i) से (iv) पर आधारित परीक्षण	3.सम्पदा निदेशक, सम्पदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय सदस्य										
टिप्पण-1 जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।											
टिप्पण-2 प्रोन्नती के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित											

821 GI/13-2

										वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद(उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थान ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।		
3. स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)	9* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया' जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा,समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-। ₹ 5200-20200 + ग्रेड वेतन ₹ 1900	लागू नहीं होता ।	27 वर्ष से अधिक नहीं (रोजगार कार्यालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पणी : 1 आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए	आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन; (ii)मोटर कार ड्राइविंग की वैध' अनुज्ञप्ति हो; (iii) मोटर का ड्राइविंग में तीन वर्ष का अनुभव टिप्पण:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन या आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा: शहरी विकास मंत्रालय या उसके अधीनस्थ कार्यालयों के ऐसे नियमित सवार हरकारा या बहु कार्य कर्मचारिवृन्द जो मोटर कार चलाने के लिए उनकी सक्षमता के निर्धारण का ड्राइविंग परीक्षण के आधार पर मोटर कार के ड्राइविंग के लिए वैध अनुज्ञप्ति रखते हैं । जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में नियमित आधार पर सवार हरकारा या बहुकार्य कर्मचारीवृन्द जो स्तंभ(7)के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए धारित की जाने वाली वर्णित अर्हताएं रखते हैं । भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन :	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (आमेलन और पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन), शहरी विकास मंत्रालय- अध्यक्ष	लागू नहीं होता ।

					नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम,मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्धाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए गये सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध				सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं है । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है । टिप्पण-1 आवेदन प्राप्ति की तारीख की अंतिम तारीख को प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष है । टिप्पण.-2 प्रतिनियुक्ति आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद(उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थान ग्रेड है, विस्तारित होगा,	2. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय लोक निर्माण विभग -सदस्य 3.सम्पदा निदेशक, सम्पदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय - सदस्य	

						होने की संभावना नहीं है । वांछनीयः होम गार्ड या नागरिक स्वयं सेवक के रूप में तीन वर्ष सेवा का अनुभव ।				वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।		

[फा. सं. ए-12018/1/95/प्रशा.-IV]

विजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव

अनुसूची का उपाबंध

व्यवसाय परीक्षा की स्कीम

I. **स्टाफ कार ड्राईवर की श्रेणी–I मे नियुक्ति (पाठ्य विवरण)**

(1) अंग्रेजी की संख्याओं और अंकों को पढ़ने में समर्थ होना चाहिए ।
(2) यातायात विनियमों की पूरी जानकारी हो ।
(3) पैट्रोल और डीजल इंजन के कार्यकरण की अच्छी जानकारी हो और खराबियां ढूंढनें और चालन संबंधी छोटी–छोटी खराबियों को दूर करने में समर्थ होना चाहिए।
(4) कार्बुरेटर, प्लग आदि साफ करने में समर्थ हो ।

परीक्षा

उपरोक्त पर आधारित व्यावहारिक परीक्षा ।

II. **स्टाफ कार ड्राईवर की श्रेणी–II मे नियुक्ति (पाठ्य विवरण)**

(1) अंग्रेजी की संख्याओं और अंकों को पढ़ने में समर्थ होना चाहिए ।
(2) यातायात विनियमों की पूरी जानकारी हो ।
(3) खराबियां ढूंढनें और चालन संबंधी छोटी–छोटी खराबियों को दूर करने में समर्थ हो।
(4) पहिया बदलने और टायर में सही–सही हवा भरने में समर्थ हो ।

परीक्षा

उपरोक्त पर आधारित व्यावहारिक परीक्षा ।

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2013

G.S.R. 129(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation Staff Car Drivers Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2002, in so far as they relate to the posts of Staff Car Driver(Grade I), Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver(Ordinary Grade), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Drivers in the Ministry of Urban Development, namely:-

1. Short title and commencement . - (1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Staff Car Drivers Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale . – The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the above said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Staff Car Driver (Grade I).	10* (2013) *Subject to variation dependent upon workload.	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1 ₹.5200-20200 plus grade pay of ₹. 2800/-.	Non- selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver(Grade II) with five years regular service in the grade failing which Staff Car Driver (Grade II) with thirteen years combined regular service in the grades of Staff Car Driver(Grade II) and Staff Car Driver(Ordinary Grade), who passes- (a) trade test to be conducted for this purpose, the syllabus for which shall be as follows:- (i) must be able to read English numerals and figures; (ii) must have good knowledge of traffic regulations; (iii) must have good knowledge of petrol and diesel engine working and must be able to	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Joint Secretary(Administration), Ministry of Urban Development-Chairman; 2. Director (Administration), Central Public Works Department, Ministry of Urban Development – Member; 3. Director of Estates, Directorate of Estates, Ministry of Urban Development – Member.	Not applicable.

rectify minor defects; (iv) must be able to clear carburetor, plug etc.; and (b) practical test based on (i) to (iv) above. Note1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on regular basis by an officer prior to 1st day of January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay Commission.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Staff Car Driver (Grade II)	8* (2013) * Subject to variation dependent upon workload.	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1 ₹. 5200-20200 plús grade pay of ₹. 2400/-.	Non- selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver(Ordinary Grade) with eight years regular service in the grade who passes- (a) trade test to be conducted for this purpose, the syllabus for which shall be as follows:- (i) must be able to read English numerals and figures; (ii) must have good knowledge of traffic regulations; (iii) must be able to locate faults and carry out minor repairs; (iv) must be able to change and correctly inflate tyres; and (b) practical test based on (i) to (iv) above. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on regular basis by an officer prior to 1st day of January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay Commission.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Joint Secretary (Administration), Ministry of Urban Development-Chairman; 2. Director(Administration), Central Public Works Department, Ministry of Urban Development – Member; 3. Director of Estates, Directorate of Estates, Ministry of Urban Development – Member.	Not applicable.

821 G/13-4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Staff Car Driver (Ordinary Grade).	9* (2013) * Subject to variation dependent upon workload.	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1 ₹. 5200-20200 plus grade pay of ₹. 1900/-.	Not applicable.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 27 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 year in case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Employment Exchange). Note1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India(and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential : (i) Matriculation from a recognized Board; (ii) possessing a valid driving licence for Motor-car; (iii) experience in driving a Motor-car for three years. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Central Government, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable: Three years service as Home-Guard or Civil Volunteer.	Not applicable.	Two years.	By deputation/ re-employment or absorption, failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
By Deputation/absorption: From amongst regular Despatch Riders and Multi Tasking Staff in the Ministry of Urban Development and its attached offices who possess valid driving licence for Motor Cars on the basis of a driving test to assess their competence to drive motor cars failing which from the officials holding the post of Despatch Riders on regular basis or regular Multi Tasking Staff in other Ministries of the Central Government who possess the qualification mentioned for direct recruits in column 7.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering absorption and confirmation) consisting of:- 1. Joint Secretary(Administration), Ministry of Urban Development-Chairman; 2. Director(Administration), Central Public Works Department, Ministry of Urban Development –	Not applicable.

For Ex-servicemen: Deputation/re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment. (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years) Note 1 : The maximum age-limit for deputation as on the closing date for receipt of applications is 56 years. Note 2 : For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended), shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend for the post or posts for which the grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Member; 3. Director of Estates, Directorate of Estates, Ministry of Urban Development – Member.	

[F. No. A-12018/1/95-Admn-IV]

VIJAY KUMAR SHARMA, Jt. Secy.

ANNEXURE TO THE SCHEDULE

SCHEME OF TRADE TEST

I Appointment to Grade I of Staff Car Driver (SYLLABUS)

1. Must be able to read English Numerals and figures.
2. Must have a thorough knowledge of Traffic Regulation.
3. Must have good knowledge of Petrol and Diesel Engine working and must be able to locate faults and rectify minor running defects.
4. Must be able to clear carborettor, plug etc.

TEST

Practical test based on the above

II Appointment to Grade II of Staff Car Driver (SYLLABUS)

1. Must be able to read English Numerals and figures.
2. Must have good knowledge of Traffic Regulation.
3. Must be able to locate faults and carry out minor running repairs.
4. Must be able to change wheels and correctly inflate tyres.

TEST

Practical test based on the above

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.